यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-6, राज्य कर, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-6, राज्य कर, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, श्री अंशुमान अग्रवाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री आशीष पाण्डेय वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 29.07.2020 से 10.08.2020 तक श्री आई.के.जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री गोविंद कुमार सिंह, श्री अरविंद कुमार उपाध्याय सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों तथा श्री चन्द्र मोहन सिंह रावत सहायक लेखापरीश्रा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक 15.7.2020 से 23.07.2020 तक श्री राजकुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित की गयी थी। जिसमे राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक तथा व्यय हेतु माह --- से --- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः -**

(ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

(₹ लाख मे)

वर्ष	**अर्जित राजस्व**
2017-18	₹ 8557 (जून 2017 तक) जुलाई से मार्च तक ₹ 2184
2018-19	₹ 4568
2019-20	₹ 5820 (₹ 5333 VAT)

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना (Plan)**		**गैर स्थापना (Non Plan)**		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना ()	**गैर स्थापना ()**	**आवंटन ()**	**व्यय ()**	**आवंटन ()**	**व्यय ()**		
		शून्य						

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त राज्य कर> अपर आयुक्त राज्य कर> संयुक्त आयुक्त राज्य कर> उपायुक्त राज्य कर >सहायक आयुक्त राज्य कर> राज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-6, राज्य कर, देहरादून** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-6, राज्य कर, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: अप्रैल 2019 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: आहरण वितरण का कार्य नहीं है, को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) **योजना का चयन :-** कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर-01 कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹ 26.54 लाख।

प्रस्तर-02 निर्धारित दर से कम दर पर कर आरोपण किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 15.43 लाख।

भाग-II (ब)

प्रस्तर- 01 आई.टी.सी का अधिक लाभ दिया जाना ₹ 2.06 लाख ।

प्रस्तर-02 बिक्री पर कर आरोपण न किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 1.91 लाख।

प्रस्तर- 03 कर के कम जमा होने से राजस्व क्षति ₹ 1.26 लाख

प्रस्तर:-04 देय कर के विलंब से जमा किए जाने पर अर्थदण्ड ₹ 7.66 लाख का अनारोपण।

STAN

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग दो (अ)

प्रस्तर-01 कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹ 26.54 लाख।

उत्तराखंड शासन की अधिसूचना सं0 102/XXXXVI(3)/2015/22(1)/2015 दिनांक 31/03/2015 के द्वारा उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 मे संशोधन धारा 4 की उपधारा (7) मे (दो) मे विद्यमान उपधारा (7) के खंड (क) तथा उसके परंतुक मे प्रयुक्त शब्द '2 प्रतिशत की दर से' के स्थान पर शब्द '3 प्रतिशत की दर से' रख दिया जाएगा। यह तुरंत प्रवृत होगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-06 राज्य कर, देहरादून के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री अवन्ती बूफ़ा प्रा0 लि0 टिन संख्या 05006609023 कर निर्धारण वर्ष 2015-16 मे व्यापारी द्वारा फार्म -11 के विरुद्ध ₹ 8,84,43,600 की बिक्री घोषित किया गया था। जिस पर 3 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया जाना था। परन्तु कर निर्धारण आदेश मे उक्त धनराशि पर कर ₹ 26,53,589 (₹ 8,84,43,600 x 3 प्रतिशत) आरोपित नहीं किया गया था। अतः व्यापारी से र 26,53,589 का कर आरोपणीय था एवं उक्त धनराशि पर नियमानुसार ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित था।

उक्त को इंगित किए जाने पर उपायुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि टंकण/लिपिकीय त्रुटि के कारण धनराशि अंकित होने से छूट गयी है। त्रुटि संशोधित कर अवगत करा दिया जाएगा।

अतः कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹ 26.54 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - दो (अ)

प्रस्तर-2: निर्धारित दर से कम दर पर कर आरोपण किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 15.43 लाख।

उत्तराखंड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 885/2015/146 (120)/XXVII(8)/2008 देहरादून दिनांक 05 दिसम्बर, 2015 के अनुसार डीजल ऑयल जो संयुक्त प्रांत मोटर स्प्रिट डीजल ऑयल और अल्कोहल विक्रय कराधान अधिनियम 1939 के यथा अधीन परिभाषित है पर विनिर्माता या आयातकर्ता के बिन्दु पर कर की दर 21 प्रतिशत या ₹ 9 प्रति लीटर जो भी अधिक है देय होगा।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-06 राज्य कर, देहरादून के अभिलेखो की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि श्री एस के एजेंसी, बालाहिसार कुलड़ी, मसूरी देहरादून द्वारा वर्ष 2016-17 में डीजल का आयात कर बिक्री की गयी थी। व्यापारी द्वारा वर्ष के दौरान ₹ 55591704 मूल्य में 1177091 लीटर डीजल विक्रय किया गया था। अतः व्यापारी द्वारा ₹47.23 (55591704/ 1177091) प्रति लीटर की दर से डीजल का विक्रय किया गया था। विक्रय किए गए डीजल पर ₹ 9.92 प्रति लीटर(₹47.23*21%) या ₹ 9 प्रति लीटर जो अधिक हो उस पर देय कर के अनुसार र 9.92 प्रति लीटर की दर से कर देय था। इस प्रकार विक्रय किए गए डीजल पर कर देयता ₹11676742 (1177091*9.92) होगी। परंतु व्यापारी द्वारा ₹9.92 प्रति लीटर के स्थान पर ₹ 9 प्रति लीटर की दर से ₹ 10593819 कर अदा किया गया है। अतः व्यापारी द्वारा ₹ 1082923 (11676742-10593819) कर कम अदा किया गया है। जिस पर माह अक्टूबर 2016 से लेखापरीक्षा माह अगस्त 2020 तक ₹460242 (1082923*1.25%*34) ब्याज भी देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने कम जमा कर जमा कराते हुए सूचित करने का आश्वासन दिया है।

अतः निर्धारित दर से कम दर पर कर आरपोण किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹15.43 लाख का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर- 01 आई.टी.सी का ₹ 2.06 लाख अधिक लाभ दिया जाना।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 6(2) के अनुसार इनपुट टैक्स का लाभ, जिसके लिये पंजीकृत व्यौहारी हकदार होगा, कर की वह धनराशि होगी, जो कर अवधि के दौरान ऐसे प्रयोजन हेतु एवं ऐसी शर्तो के आधीन रहते हुए जैसा कि इस धारा में विर्निदिष्ट है, किये गये क्रय के क्रय धन पर पंजीकृत व्यौहारी द्वारा विक्रेता व्यौहारी को भुगतान किया गया और जिसके कारण ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित की जाये।

कार्यालय उरायुक्त (कर, निर्धारण)-06 राज्य कर देहरादून के लेखा- अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री शिवालिक कंट्रोल एंड स्विच गियर, देहरादून द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2016-17 मे आई टी सी ₹ 8030562 का दावा किया गया है। संगत वर्ष मे व्यापारी द्वारा ₹ 8,56,23,510 की प्रांतीय खरीद (₹ 3,76,63,107 की 5 प्रतिशत की दर से + ₹ 4,40,11,616 की 13.5 प्रतिशत की दर से) घोषित किया है। जिस पर कुल आई टी सी ₹ 78,26,233 (₹ 3,76,93,107 x 5%=18,84,665 एवं ₹ 4,40,11,616 x 13.5 = 59,41,568) देय है। इस प्रकार ₹ 2,04,329 (₹ 80,30,562 – ₹ 78,26,223) अधिक धनराशि का दावा किया गया है। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार करते हुये कर निर्धारण किया गया है। जो की रिवर्स योग्य है तथा उक्त धनराशि पर नियमानुसार ब्याज भी देय है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर उपायुक्त ने कुल आई.टी.सी की पुनः गणना कर सूचित किए जाने का आश्वासन दिया है।

अतः आई. टी. सी. ₹ 2.06 लाख अधिक लाभ दिए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग - दो (ब)</u>

प्रस्तर-02 : बिक्री पर कर आरोपण न किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 1.91 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3 की उपधारा 1 के अन्तर्गत किसी व्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबंधो के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा। पुनः उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(आ) के अनुसार अनुसूची II (ख) में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में अपने कराधेय विक्रय आवर्त पर 5.00 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान करने का दायी होगा। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद एकराम खान एंड संस बनाम वाणिज्य कर आयुक्त उत्तर प्रदेश के वाद में दिनांक 21 जुलाई 2004 को दिये गए निर्णय के अनुसार वारंटी रिप्लेसमेंट में दिये गए माल की बिक्री कराधेय होगी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)-06 राज्य कर, देहरादून के अभिलेखो की नमूना लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि श्री इंटास फर्मासूटिकल्स लि॰ जो दवाइयों की खरीद बिक्री हेतु अधिकृत है द्वारा वर्ष 2014-15 में रिप्लेसेमेंट गुड्स के अंतर्गत ₹ 3817801 की बिक्री स्वीकार की, परंतु उस पर कर आरोपित नहीं किया गया था। जबकि replacement goods के अन्तर्गत दी गयी मैडिसिन ₹ 3817801 पर कर ₹ 190890 (3817801∗5%) आरोपणीय किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अवगत कराया की दवाई की व्यापारी द्वारा replacement goods के अंतर्गत परिवहन के दौरान जो मैडिसिन नष्ट हो जाती है उनके बदले में रिप्लेस करके मैडिसिन दी जाती है। जिस पर कोई बिक्री न होने के कारण कर आरोपित नहीं किया गया है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद एकराम खान एंड संस बनाम वाणिज्य कर आयुक्त उत्तर प्रदेश के वाद में दिनांक 21 जुलाई 2004 को दिये गए निर्णय के अनुसार वारंटी रिप्लेसमेंट में दिये गए माल की बिक्री कराधेय होगी। अतः replacement goods के अंतर्गत दी गयी मैडिसिन ₹ 3817801 पर कर ₹ 190890 (3817801∗5%) आरोपणीय है।

अतः बिक्री पर कर आरोपण न किए जाने के कारण राजस्व क्षति ₹ 1.91 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग -2 (ब)

प्रस्तर-: 03 कर के कम जमा होने से राजस्व क्षति ₹ 1.26 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा।

कार्यालय के अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री गुप्ता एंड कम्पनी, मसूरी टिन सं 05002958525 कर निर्धारण वर्ष 2016-17 मे व्यापारी द्वारा ₹ 8,81,77,924 की खरीद घोषित करते हुये ₹ 1,12,45,896 की आई टी सी का दावा किया गया था। व्यापारी द्वारा कुल बिक्री ₹ 8,72,59,405 की घोषित करते हुये ₹ 1,19,34,566 का कर देना स्वीकार किया गया था। व्यापारी द्वारा चालान से ₹4,43,465 जमा कराया गया है एवं पूर्व वर्ष का ₹ 1,19,391 था। इस प्रकार कुल जमा ₹ 1,18,08,752 (₹ 1,12,45,896 + ₹ 4,43,465 + ₹ 1,19,391) था। घोषित कर ₹ 1,19,34,566 – जमा ₹ 1,18,08,752 = अर्थात ₹ 1,25,814 कम जमा था। कर निर्धारण आदेश मे व्यापारी पर कोई मांग सृजित नहीं किया गया था एवं समस्त कर जमा किया जाना अवगत कराया था। इस प्रकार व्यापारी द्वारा ₹1,25,814 और जमा किया जाना था एवं इस पर नियमानुसार ब्याज भी देय था।

उक्त को इंगित किए जाने पर उपायुक्त द्वारा व्यापारी से अवशेष जमा कर ब्याज सहित जमा कराकर प्रेषित करने का आश्वासन दिया गया।

अतः कर के कम जमा होने से राजस्व क्षति ₹ 1.26 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर:-04 देय कर के विलंब से जमा किए जाने पर अर्थदण्ड ₹ 7.66 लाख का अनारोपण।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ₹50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधो के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हज़ार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो का दायी होगा **(दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)**,यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा।**(दिनांक 31.03.2015 से)**; यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हज़ार रूपए तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हज़ार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा **(दिनांक 31.03.2015 से)।**

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-06, राज्य कर, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि तीन व्यापारियो द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की राशि ₹ 57,75,752/- को बिना किसी युक्ति युक्त कारण के विलंब से जमा किया गया था| अत: विलम्ब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियामानुसार न्यूनतम ₹ 7,65,537/- का अर्थदण्ड आरोपणीय था जिसे आरोपित नहीं किया गया था **(संलग्नक)**।

इस विषय में इंगित किए जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने उत्तर दिया कि उक्त व्यापारियों द्वारा कर जमा करने के साथ ब्याज की धनराशि भी जमा करायी गयी है। विभिन्न उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों के वादों मे विलंब से कर ब्याज सहित जमा किए जाने पर अर्थदण्ड लगाना अनुचित माना है।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि उपयुक्त आपत्ति में वर्णित 03 व्यापारियों में से सिर्फ एक व्यापारी सर्वश्री एस.एल. ओबेरॉय मिनरल्स प्रा0 लि0 देहरादून के द्वारा ही विलंब से जमा कर के साथ ब्याज की राशि जमा है । इसके अलावा कई वादों मे ऐसे मामलों मे अर्थदण्ड को उचित भी ठहराया गया है ।

अतः देय कर के विलंब से जमा किए जाने पर अर्थदण्ड ₹ 7,65,537/- के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

क्रम संख्या	व्यापारी का नाम	TIN संख्या	कर निर्धारण वर्ष	कर अवधि	कर जमा करने की अंतिम तिथि	देय कर जमा करने की तिथि	कर की राशि	अर्थदण्ड की राशि
1.	सर्वश्री अवन्ति बुफा प्रा.लिमिटेड	05006609023	2015-16	04/2015	20.05.2015	30.05.2015	884154	44208
				05/2015	20.06.2015	14.09.2015	1416112	283222
				06/2015	20.07.2015	14.09.2015	1156291	231258
				07/2015	20.08.2015	21.09.2015	572603	114520
2.	सर्वश्री एस एल ओबेरॉय मिनरल्स प्रा.लि.देहरादून।	05001206026	2015-16	05/2015	20.06.2015	22.06.2015	1047270	57363
3	सर्वश्री शिवालिक कंट्रोल्स एंड स्विचगेयर, हरिद्वार रोड, देहरादून।	05001215144	2016-17	04/2016	20.05.2016	24.05.2016	107044	5352
				06/2016	20.07.2016	25.07.2016	217278	10864
				07/2016	20.08.2016	24.08.2016	375000	18750
	कुल						**₹57,75,752**	**₹7,65,537**

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
03/2006-07	-	1,3,4	-
38/2009-10	-	1	-
04/2011-12	1	1,3,4	-
03/2012-13	1	3,5	-
31/2013-14	1,2,3	-	-
40/2014-15	1,2	1	-
27/2015-16	-	1,2,3,4,5,6	1,2
26/2016-17	1	1,2,3,4,5	-
127/2017-18	1	1,2	-
50/2018-19	1,2	1,2,3	-
38/2019-20	1	1,2,3	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-6, राज्य कर, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य-

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री मनीष मिश्रा	उपायुक्त (क.नि.)-6 राज्य कर, देहरादून

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV